

भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3076
13 दिसंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

केरल में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत निधि संकट

3076. डॉ. शशि थरूर:

क्या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत केरल राज्य सरकार को दी जाने वाली निधि के प्रवाह को पुनः आरंभ कर दिया है, जिसे राज्य सरकार द्वारा अपनी ब्रांडिंग आवश्यकताओं का अनुपालन करने से मना करने के कारण पहले रोक दिया गया था;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ग) क्या निधि रोके जाने के कारण केरल राज्य में एनएचएम का कार्यान्वयन संकट में पड़ गया है; और
- (घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा केरल में एनएचएम के कार्यान्वयन को पुनः पटरी पर लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (घ): राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत स्वास्थ्य अवसंरचना में सुधार तथा स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली में सुधार के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

सभी राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के ढांचे के तहत भारत सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) निष्पादित करते हैं, जिसके खंड 10.3 और 10.10 के अनुसार राज्यों को एनएचएम के तहत जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन का अधिदेश दिया गया है।

केरल राज्य सरकार द्वारा 26 जून 2024 के पत्र के माध्यम से सूचित किया गया है कि केरल के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने भारत सरकार के दिशा-निर्देशों का अनुपालन करने के लिए एक आदेश जारी किया है। अनुपालन संबंधी प्रतिबद्धता के अनुसरण में, एनएचएम के तहत वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 913.24 करोड़ रुपये के आबंटन में से 702.63 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से प्रस्ताव एनएचएम के तहत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के रूप में प्राप्त होते हैं और भारत सरकार मानदंडों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कार्यवाही के रिकॉर्ड (आरओपी) के रूप में प्रस्तावों के लिए अनुमोदन प्रदान करती है। केरल राज्य को दी गई मंजूरी सार्वजनिक डोमेन <https://nhm.gov.in/index4.php?lang=1&level=0&linkid=53&lid=66> पर उपलब्ध है।
